

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/के-243/1992/अलेसे-III/ 157

दिनांक :- 12-5-2023

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार देवडा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को निदेशालय के आदेश सं. एफ.3(ख)(ए-243/1992) (लिंग नं. 3834)/अलेसे-III/1366 दिनांक 31.03.2022 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कोषाधिकारी, जोधपुर (शहर) किया गया था। श्री अशोक कुमार देवडा को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री अशोक कुमार देवडा द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा कार्यालय कोषाधिकारी, (शहर) जोधपुर के पत्रांक प-1/कोष/संस्था/2022-23/1588 दिनांक 28.03.2023 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 53(II) के अनुसरण में श्री अशोक कुमार देवडा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% को नियमानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/के-243/1992/अलेसे-III/ 157
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- 12-5-2023

1. कार्यालय कोषाधिकारी, (शहर) जोधपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।
5. श्री अशोक कुमार देवडा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय कोषाधिकारी, (शहर) जोधपुर।

(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)